रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2136] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939
No. 2136] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2017

का.आ. 2434(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक एवं हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इस आदेश को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

   (2) यह आदेश दिनांक 01.02.2018 से लागू होगा।

2. **परिभाषा.**—इस आदेश में जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा अपेक्षा न हो—

   (क) **'अधिनियम'** का अर्थ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) है;

   (ख) **'उचित प्राधिकारी'** का अर्थ—

      (i) एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव रैंक से कम न हो;

      (ii) एक ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के रैंक से कम न हो;

      (iii) राज्य सरकारों के उद्योग निदेशक अथवा आयुक्त;

      (iv) भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा नामित एक अधिकारी।

   (ग) **'ब्यूरो'** का अर्थ बीआईएस अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो है;

   (घ) 'इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर' का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदें हैं।

(ङ) इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के सन्दर्भ में **'डीलर'** का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति या एक फर्म या एक हिंदू अविभाजित परिवार है जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर एवं सहायक उपकरणों के विनिर्माण, उसकी खरीद, बिक्री, आपूर्ति अथवा वितरण संबंधी व्यवसाय का प्रत्यक्ष अथवा अन्य रूप में संचालन कर रहा है, चाहे वह नगद या आस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, मुआवजा अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो;

(च) इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के सन्दर्भ में **'विनिर्माता'** का अर्थ एक व्यक्ति या एक फर्म या हिंदु अविभाजित परिवार है, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का उत्पादन, निर्माण, विनिर्माण करती है और इसमें एक व्यक्ति या एक फर्म या हिंदु विभाजित परिवार शामिल है, जो यह दावा करता है कि ऐसे एक व्यक्ति या एक फर्म या हिंदु अविभाजित परिवार, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसका उत्पादन, निर्माण, संयोजन अथवा विनिर्माण किया जाना है;

(छ) **'अनुसूची'** का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्नक अनुसूची है;

(ज) इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के सबंध में **'विनिर्दिष्ट मानदंड'** का अर्थ अनुसूची के कॉलम (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक है;

(झ) **'राज्य सरकार'** में केंद्र शासित प्रशासन भी शामिल है।

(ञ) ऐसे अन्य शब्दों एवं वाक्यांशों, जो इस आदेश में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, के अर्थ वे होंगे जो बीआईएस अधिनियम तथा संगत बीआईएस मानक में उनके लिए दिए गए हैं।

(3) **विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा वितरण आदि का निषेध.—**

1. कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के विनिर्माण, आयात, भंडारण या बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा संवितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और जिन पर ब्यूरो के मानक चिह्न नही हैं।

   इस आदेश में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के निर्यात के संदर्भ में कुछ भी विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित विशिष्टि के संबंध में लागू नहीं होगा।

2. अवमानक एवं दोषपूर्ण इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर जो विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, उनकी पहचान की जाएगी तथा उन्हें विनिर्माण की तारीख से एक महीने के भीतर उपयोग न कर सकने के लिए नष्ट कर दिया जाएगा ।

4. **प्रमाणन की बाध्यता.**—(1) इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के सभी विनिर्माता, मानक चिह्न के उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ब्यूरो को आवेदन करेंगे, यदि यह पहले प्राप्त नहीं किया हो।

(2) मानक चिह्न के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा लाइसेंस की अनुमति, अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमावली और इसके तहत निर्धारित विनियमों के अनुसार होगी।

(3) जब कोई व्यक्ति स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है, तब वह मानक चिह्न के उपयोग के लिए ब्यूरो से वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही नियमित उत्पादन शुरू करेगा।

(4) अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक या अधिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के संबंध में ब्यूरो द्वारा किसी लाइसेंस की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप ब्यूरो ऐसे मामलों को अधिसूचित करेगा और अपनी वेबसाइट पर सूचनार्थ प्रदर्शित करेगा।

5. **जानकारी आदि प्राप्त करने का अधिकार.—**

(1) उपयुक्त प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से—

(क) किसी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में कार्यरत किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री अथवा वितरण के संबंध में आवश्यक समझी जाएगी अथवा किसी व्यक्ति से ऐसे किसी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के नमूने प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के विनिर्माण, आयात, बिक्री के लिए भंडारण बिक्री अथवा वितरण में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अथवा उससे संबंधित अथवा इसके कब्जे वाले अथवा उसके नियंत्रणाधीन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के खातों या अन्य किसी दस्तावेज की जांच कर सकता है अथवा जांच करवा सकता है।

(ग) किसी भवन में प्रवेश एवं जांच कर सकता है तथा ऐसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर को जब्त कर सकता है जिसके संबंध में यह विश्वास हो कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है अथवा उक्त इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर अपेक्षित मानक के अनुसार नहीं है।

(2) तलाशी एवं जब्त करने से संबंधित आपराधिक प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का प्रावधान, इस खंड के तहत तलाशी तथा जब्ती पर लागू किया जा सकता है।

6. **परीक्षण एवं नमूने.**—मानक चिह्न वाले तथा उचित प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्या वे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के नमूनों का ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में और ब्यूरो द्वारा निर्धारित तरीके से परीक्षण किया जाएगा।

7. **विनिर्माताओं तथा डीलरों अथवा विक्रेताओं को निर्देश जारी करने का अधिकार.**—सक्षम प्राधिकारी विनिर्माताओं, आयातकों तथा डीलरों अथवा विक्रेताओं को अधिनियम अथवा इस आदेश के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो इस आदेश के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

8. **निदेशों का अनुपालन.**—किसी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के विनिर्माण, आयात, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस आदेश के तहत कोई निदेश जारी किया गया है, वह ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

9. **सूचना प्रस्तुत करने की बाध्यता.**—कोई भी विनिर्माता, आयातक अथवा डीलर इस आदेश के प्रावधानों से बचने के इरादे से खंड 5 के तहत उससे कानूनी रूप से मांगी गई कोई सूचना देने से मना नहीं करेगा अथवा ऐसा कोई व्यक्ति उनके द्वारा रखे गए या उसके कब्जे अथवा नियंत्रण वाले किसी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर खातों अथवा दस्तावेजों को गुप्त नहीं रखेगा, खराब, नष्ट अथवा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे निश्चित अवधि की सजा दी जा सकती है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है जो 50000 रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं।

अनुसूची

क्र. सं.	आईएस संख्या	शीर्षक
1	आईएस 2993	ए.सी. मोटर कैपेसिटर
2	आईएस 13340	650 वोल्ट तक के रेटेड वोल्टेज वाले एसी पावर सिस्टम के लिए सेल्फ हीलिंग का पावर कैपेसिटर
3	आईएस 13585 भाग 1	1000 वोल्ट तक के रेटेड वोल्टेज वाले एसी सिस्टम के लिए नॉन-सेल्फ-हीलिंग का शंट पावर कैपेसिटर भाग 1 स्थापना और प्रचालन के लिए सामान्य कार्यनिष्पादन, परीक्षण और सुरक्षा अपेक्षा संबंधी मार्गदर्शन एवं रेटिंग देना

[फा. सं. 14(85)/2011-एलईआई (पार्ट फाइल)]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 1st August, 2017

S.O. 2434(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, in the public interest hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Electrical Capacitors (Quality Control) Order, 2017.

(2) This Order shall come into force with effect from 01.02.2018

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires.—

(a) "**Act**" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(b) "**appropriate authority**" means.—

(i) any officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India;

(ii) an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State Government;

(iii) Director or Commissioners of Industries of State Governments;

(iv) an officer nominated by the Director General, Bureau of Indian standards.

(c) "**Bureau**" means the Bureau of Indian Standards established under section 3 of the BIS Act;

(d) "**electrical capacitors**" means the items specified in Schedule annexed to this order.

(e) "**dealer**", in relation to electrical capacitors means a person who, or a firm or a Hindu Undivided Family which, carries on, directly or otherwise, the business of manufacturing, buying, selling, supplying or distributing the products electrical capacitors and accessories, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

(f) "**manufacturer**", in relation to electrical capacitors means a person who, or a firm or a Hindu undivided family which produces, makes, manufacturers electrical capacitors and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family which claims electrical capacitors to be produced, made, manufactured by any such person or firm or Hindu undivided family, as the case may be;

(g) "**Schedule**" means the Schedule annexed to this Order;

(h) "**specified standard**" in relation to electrical capacitors means the Indian Standards as specified in the corresponding column (2) of the Schedule.

(i) "**State Government**" includes a Union territory Administration also.

(j) All other words and expressions used but not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them in the BIS Act and relevant BIS standard.

3. Prohibition of manufacture, storage, sale and distribution etc.—

(1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture, import, store or store for sale, sell or distribute any electrical capacitors, which do not conform to the specified standards and which do not bear Standard Mark of the Bureau:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of Electrical Capacitors meant for export, which conform to any specification required by the foreign buyer.

(2) The sub-standard or defective electrical capacitors which do not conform to the specified standard shall be so identified and destroyed beyond use within a month from the date of manufacture.

4. Obligation for Certification.—(1) All manufacturers of electrical capacitors shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark, if not already obtained.

(2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made thereunder.

(3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture electrical capacitors as specified in the Schedule, shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau for the use of Standard Mark.

(4) Consequent to the expiry or cancellation of any licence by the Bureau for one or more of the electrical capacitors specified in the Schedule, the Bureau shall notify such cases and display the information on its website.

5. **Power to call for information, etc.**—(1) The appropriate authority may, with a view to securing compliance with this Order—

(a) require any person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sale or distribution of electrical capacitors to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, import, storage for sale, sale or distribution of any electrical capacitors for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such electrical capacitors.

(b) inspect or cause to be inspected any books or other documents relating to electrical capacitors kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sale or distribution of any such electrical capacitors;

(c) enter and search any premises and seize electrical capacitors in finished stock condition (ready for sale) in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said electrical capacitors and accessories are not of the specified standard.

(2) The provision of the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizures shall so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

6. **Testing and samples.**—Samples of electrical capacitors bearing the Standard Mark and drawn by the appropriate authority, for ascertaining whether they are of the specified standard, shall be tested as per the relevant Indian Standard in the laboratory recognized by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.

7. **Power to issue direction to manufactures and dealers or sellers.**—The appropriate authority may issue such directions to manufacturers, importers and dealers or sellers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.

8. **Compliance of directions.**—Every person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sale or distribution of any electrical capacitors specified in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.

9. **Obligation to furnish information.**—No manufacturer, importer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any electrical capacitors kept by, or in the possession or control of, such person, and if any person contravenes this provision shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

SCHEDULE

Sr.	IS No.	Title
1.	IS 2993	A.C. motor capacitors
2.	IS13340	Power Capacitors of Self healing Type for AC Power Systems having Rated Voltage up to 650 V
3.	IS13585 Part I	Shunt Power Capacitors of the Non-Self - Healing Type for AC Systems having a Rated Voltage up to and Including 1000 V PART 1 GENERAL PERFORMANCE, TESTING AND RATING SAFETY REQUIREMENTS GUIDE FOR INSTALLATION AND OPERATION

[F. No. 14(85)/2011-LEI (Part File)]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.02 22:41:41 +05'30'